




K.B

16225/18



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 739842



रामचंद्र सिंह

जितेंद्र सिंह




3600
3600

- 1- किरायानामा ।
- 2- स्टांप शुल्क- 3600/-रुपया ।
- 3- समय- 21 वर्ष ।
- 4- किरायेदारी- 2500/-रुपया मासिक याना 30,000/-रुपया वार्षिक ।
- 5- किरायेदारा ब्रूखंड नगर पालिका सीमा से बाहर स्थित है ।

रामचंद्र सिंह

जितेंद्र सिंह





(2)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 739847

6. प्लार राष्ट्रीय राज्यमार्ग संन. संच. 232 के किनारे पर रिफ्त हैं।
7. दोनो पक्ष अनुसूचित जाति व जनजाति के नही हैं।

राम चरण सिंह

गोपाल सिंह



पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

प्रतिफल- 0 स्टाम्प शुल्क- 3600 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 3600 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 80 योग : 3680

क्र.सं. 613

स्टाम्प विक्रय की तिथि ... 14-12-2018

श्री स्वधर्मबर सिंह का प्रयोग ... विक्रायनामा

पुत्र श्री हरनमि सिंह का प्रयोग ... जी लेड विड सेगर

व्यवसाय: कृषि ... 500

निवासी: बेरागढीवा फतेहपुर (स्वयं विक्रेता)


उदयवार सिंह

तहसील-फतेहपुर जिला-47

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनांक 14/12/2018 एवं 04:10:17 PM बजे

निबंधन हेतु पेश किया।

उदयवार सिंह



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

प्रतिभान श्रीवास्तव प्र०


उप निबंधक :सदर

फतेहपुर

14/12/2018

शिवमूरत सिंह

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित





(3)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 739848

में कि स्वयम्बर सिंह पुत्र हरनाम सिंह निवासी बेरागढ़ीवा परगना

व तहसील व जिला फतेहपुर।

जन्मतिथि- 01-01-1966 | आचार नं: 5692 9863 1869 |

मो.नं: 9795846996 | (प्रथम पक्ष)


एवं


जीतेन्द्र सिंह सेगर पुत्र स्व० जगदीश सिंह निवासी बेरागढ़ीवा परगना

व तहसील व जिला फतेहपुर। छा.मु. 25 ए साइड गौतम नगर अडि.
सी. अडि. रोड बाहर व तहसील व जिला फतेहपुर।

जन्मतिथि- 31-08-1971 | आचार नं: 8840 71994812 |

मो.नं: 9839610888 | (द्वितीय पक्ष) |







निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

614

क्र०सं०

स्टाम्प विक्रम

स्टाम्प क्रम

स्टाम्प क्रम

स्टाम्प क्रम


श्री स्वसम्बर सिंह पुत्र श्री हरनाम सिंह

निवासी: बेरागढीवां फतेहपुर

व्यवसाय: कृषि

पट्टा गृहीता: 111 (पिकेता)

करापा नाम
जीतेन्द्र सिंह



पुरानी तहर

श्री जीतेन्द्र सिंह सेंगर, पुत्र श्री स्व० जगदीश सिंह

निवासी: बेरागढीवां फतेहपुर मुकाम 25ए साउथ गौतमनगर आई रोड फतेहपुर

व्यवसाय: व्यापार

जीतेन्द्र सिंह



ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान



पहचानकर्ता : 1

श्री बलराम सिंह, पुत्र श्री हरनाम सिंह

निवासी: बेरागढीवां फतेहपुर

व्यवसाय: कृषि

बलराम सिंह



पहचानकर्ता : 2

श्री विनीत कुमार सिंह, पुत्र श्री बलराम सिंह

निवासी: बेरागढीवां फतेहपुर

व्यवसाय: कृषि

विनीत कुमार सिंह




रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

ने की। प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे

नियमानुसार लिए गए हैं।

टिप्पणी :



प्रतिभा श्रीवास्तव प्र०

उप निबंधक: सदर

फतेहपुर

शिवमूरत सिंह

कनिष्ठ सहायक (निबंधन) - नियमित



(4)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 739849

विदित हो कि प्रथम पक्ष कि ग्राम सारीपुर बेरा परगना व तहसील
व जिला फतेहपुर की गारा सं. 204 मूकनं. 156775-0204-0-000-12
राष्ट्रीय राजमार्ग (एन.एच. 232) के किनारे एक झूखंड जिसकी
पैमादस- पूरब से पश्चिम- 50 (पचास) मीटर। उत्तर से पश्चिम-
40 (चालीस) मीटर हैं व चौएदी- पूरब- खेत संजीव कुमार।
पश्चिम- फतेहपुर से लखनऊ 232 एन.एच. एक कि. मी. से आठ कि.
मी. के मध्य। उत्तर- खेत बलराम सिंह सदरवातेदार। पश्चिम-
खेत रामराज सिंह हैं। के एकमात्र मालिक व काबिज हैं और
यह झूखंड हर प्रकार से मार मुक्त है द्वितीय पक्ष उक्त झूखंड

रामराज सिंह



जी. ए. ए. ए.






(5)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AB 739850

पर पेट्रोल पम्प लगवाने हेतु उस झखण्ड को 30,000 तीस हजार रुपये वार्षिक किराये पर 21 वर्ष के लिये किराये पर लेने के लिये इच्छुक हैं और मैं प्रथम पक्ष किराये पर देने के लिये सहमत हूँ जिसकी शर्तें निम्नलिखित हैं


- 1- यह कि डिडीप पक्ष प्रथम पक्ष को 30,000 तीस हजार रुपये वार्षिक भुगतान करेगा और यह किरायेदारी आज की तिथि से प्रारम्भ होगी।
- 2- यह कि यह किरायेदारी आज की तिथि से 21 वर्ष तक क्रियाशील रहेगी।












(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

AB 739851


- 3- यह कि किराये की कथित अवधि के दौरान डिलीप पक्ष उपर्युक्त किराये के अतिरिक्त समस्त प्रकार के करों और उपकरों जो भविष्य में इस पर लगाये जायेंगे की भी अदायगी करेगा।
- 4- यह कि डिलीप पक्ष को पेट्रोल पम्प की कम्पनी के एक में सब लीज करने का अधिकार होगा।
- 5- यह कि डिलीप पक्ष उक्त बूखण्ड पर पेट्रोल पम्प ही लगायेगा इसके अलावा अन्य कार्य नहीं करेगा।
- 6- यह कि उपर्युक्त प्रतिबन्धों के अधीन डिलीप पक्ष कथित बूखण्ड अथवा इस पर निर्मित किये जाने वाले पेट्रोल पम्प को अवधि के दौरान प्रथम पक्षगणों की ओर से बिना किसी दस्तक्षेप के चारण करेगा एवं इसका उपयोग तथा प्रयोग करेगा।












(7)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


AB 739852

7- यह कि इस विलेख में प्रयुक्त प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष शब्दों में उसके उत्तराधिकारी, विधिविहित प्रतिनिधि, उत्तरवर्ती, तथा सम्बन्धितियों शामिल होंगे।


इसलिए स्वस्थ चित्त व स्थिर बुद्धि की दशा में बिना किसी अथ व दबाव के तथा अपने पूर्ण हौशो हवास में निम्नलिखित दो शर्तों के समक्ष यह किरायानामा











(6)

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH


EH 977609

लिख दिया है कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे।

Handwritten signature



Handwritten signature



श्री. बलराम सिंह / अजय सिंह



श्री. बलराम सिंह
Handwritten signature



श्री. विनीत कुमार सिंह
Handwritten signature

Handwritten signature



Handwritten signature

तारीख तहरीर- 14 दिसम्बर 2018

सलिल श्रीवास्तव

संस्थापक ...
व्यवस्थापक ... 01-04-18 से 31-03-2021 तक
एक विधायक स्थान ...
श्री गड पीर ...
सलिल